

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.11.2022 जनपद देवरिया

थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 02 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सोनकर के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री देव आन्नंद के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 15.11.2022 को थानाध्यक्ष बरियारपुर सुभाष चन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मधवापुर से दो अदद पिकअप वाहन व 10 अदद गौवंशीय बरामद करते हुये अभियुक्तगण 01. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रमेश सैनी निवासी चहौड़ा घाट थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर, 02. अंगद मौर्या पुत्र राम ललीत मौर्या निवासी रसुलपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बरियारपुर पर मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 1.10 अदद गोवंशीय
2. 02 अदद पिकअप वाहन (यू0पी45 सी 4990 व यू0पी45 टी 5820)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. सुभाष चन्द्र पाण्डेय थानाध्यक्ष बरियारपुर जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 जयप्रकाश दूबे थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
3. मु0आ0 सदन यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
4. मु0आ0 राजकुमार सिंह थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
5. मु0आ0 जगन्नाथ यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
6. का0 बाल गोविन्द थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
7. का0 रविन्द्र चौहान थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
8. का0 राहुल कुमार यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।